श्री मुकुल कुमार गुप्ता, भा0प्र0से0, उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के अध्यक्षता में दिनांक–26.12.2025 को पूर्वाहन 11:00 बजे से उनके कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की आहूत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति संलग्न सूची के अनुसार।

उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही शुरू की गयी।

सहायक उद्योग निदेशक, प्रभारी मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग कलस्टर विकास योजना के द्वारा बताया गया कि गया जिला से जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा के उपरान्त प्रस्ताव की समीक्षा राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। उक्त प्रस्ताव, अनुशंसित कलस्टर की विवरणी एवं सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से उस पर लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है :–

पावर लुम कलस्टर, मानपुर, गया, (2025) :– गया जिला स्तर पर दिनांक–06.10.2025 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सुश्री बंदना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया के पत्रांक–809 दिनांक–29.11.2025 द्वारा विद्युत करघा हेतु सामान्य सुबिधा केन्द्र स्थापना संबंधी प्रस्ताव अनुशंसा के साथ राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराया गया।

प्राप्त परियोजना प्रतिवेदन की मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है:–

(i) पावर लुम कलस्टर, मानपुर, गया में सामान्य सुविधा केन्द्र के विकास हेतु Diagnostic Survey Report (DSR) सुश्री बंदना, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया द्वारा तैयार एवं समर्पित किया गया।

(ii) गया एक ऐतिहासिक शहर है जो मानपुर एवं आसपास के क्षेत्रो में लगभग 400 वर्षो से हस्तकरघा एवं पावरलुम बुनाई के लिए जाना जाता है।

(iii) गया जिले में कुल 10,620 विद्युत करघा यू0आई0डी0 उत्कीर्ण है। पटवाटोली, मानपुर में कुल 50,000 लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस व्यवसाय से जुड़े हुए है। इसका वार्षिक कारोवार लगभग 900 करोड़ है।

(iv) यहाँ के कारीगरो में सहायक गतिविधियों में महिलाओं की उच्च भागीदारी है, तथा यहाँ के कारीगर काफी दक्ष एंव कुशल है जिसका एक मजबुत पारंपरिक आधार है।

(v) पटवाटोली के बुनकरों द्वारा चादर, साड़ी, कपड़ा, टिकन, कफन इत्यादि का निर्माण किया जाता है। यहाँ तैयार बस्त्र विशेष रूप से दिल्ली, झारखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में भेजे जाते है।

(vi) कलस्टर मुख्य रूप से पुरानी तकनीकी और साझा बुनियादी ढाँचे की कमी का सामना कर रहा है।

(vii) आधुनिक धागा, रंगाई, साईजिंग एवं वार्पिंग के लिए कोई स्थानीय सुविधाएँ नहीं है, जिससे बाहरी स्त्रोतो (पंजाब, तमिलनाडू, गुजरात) पर निर्भरता लागत में वृद्धि गुणवता में विसंगति बाजर की माँगों पर धीमी प्रतिक्रिया होती है।

(viii) यहाँ के कारीगरों द्वारा संचालित इकाईयों में 10 से 15 साल पुराने पावरलुम का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कम उत्पादकता और सीमित डिजाईन होते है।

(ix) कल्स्टर हेतु Dyeing unit, Sizing Machine, Printing Machine इत्यादि की आवश्यकता है।

(x) जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सामान्य सुबिधा केन्द्र में आधुनिक मशीनो की स्थापना के बाद पटवाटोली में निर्मित वस्त्र की गुणवता बढेगी साथ ही रोजगार के अबसर बढ़ेगे जिससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

उक्त प्रस्ताव एवं परियोजना प्रतिवेदन पर विर्मश के उपरान्त पावरलुम कलस्टर मानपुर गया को अनुमति प्रदान की जाती है। पी0एम0ए0 के चयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई का निदेश दिया जाता है।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

सहायक निदेशक , उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	सहायक निदेशक, एम0एस0एम0ई0 डी0एफ0ओ0,पटना।	उप सचिव (योजना), उद्योग विभाग बिहार,पटना।	उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय बिहार, पटना।

ज्ञापांक–76 पटना, दिनांक–06/01/26

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विकास कार्यालय, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना/उप सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, योजना, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, हस्तशिल्प, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, गयाजी/सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/उद्योग निदेशक के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–76 पटना, दिनांक–06/01/26

प्रतिलिपिः– आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। साथ ही जिला पदाधिकारी, गयाजी/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गयाजी/सहायक निदेशक, हस्तशिल्प, भारत सरकार को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।